**परिवादी द्वारा दाखिल किये गये परिवाद का प्रत्यर्थी का उत्तर - उपभोक्ता विवाद निराकरण फोरम .................**

वाद सं. ................. सन् .................

**अबक**......................... परिवादी

**बनाम**

**कखग** ................. प्रत्यर्थी/विरोधी पक्षकार

**अति सादर पूर्वक प्रदर्शित करता हैप्रत्यर्थी कम्पनी निम्नलिखित रूप में अतिसादर पूर्वक निवेदन करता है –**

1. परिवाद का पैरा 1 को उस विस्तार तक स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यर्थी कम्पनी के विज्ञापन से पैरा किया जाता है|
2. परिवाद का पैरा 2 गलत है और उसका प्रत्याख्यान किया जाता है। प्रत्यर्थी कम्पनी सादर निवेदन करती है कि इसने यहाँ तक इसके ग्राहको/उपयोगकर्ताओं में से किसी परिवाद को प्राप्त नहीं किया है। प्रत्यर्थी कम्पनी आगे निवेदन करती है कि प्रश्नगत उत्पाद का मच्छरों, काकरोचो विस्तर खटमलों, किलनियों तथा घरेलु मक्खियों को भगाने का अर्थ लगाया जाता है। शब्द "प्रतिकर्षित करना भगा देना, बलात् भगा देना, उसके बढ़ने को रोकना घृणा या अरूचि पैदा करने से अर्थ लगाया जाता है। (लक्सीकान बेब्स्टर डिक्सनरी वालम || 1986 संस्करण) यह आगे निवेदन किया जाता है कि प्रतिकर्षण करने का एक ढंग है, अर्थात् जब प्रतिकर्षण एक कमरे में किया जाता है तब इसको कम से कम आधा घण्टे के लिए बन्द रखा जाता है और मात्र उसके पश्चात् कथित कमरे का प्रयोग किया जाना है। यह निवेदन किया जाता है कि उत्पाद में कोई विषैला पदार्थ नहीं अन्तर्विष्ट होता है जो के होने; चक्कर आने एवम जी मिचिलाने को जन्म दे सकेगा। यह भी निवेदन किया जाता है कि परिवादी यथा इसमें इसके पूर्व उपदर्शित किये प्रतिकर्षणकर्ता पर उपदर्शित किय गये अनुदेशों के अनुसार उत्पाद को प्रतिकर्षित नहीं किया है। चूंकि उत्पाद विष के किसी भी तत्व का अन्तर्विष्ट नहीं करता है इसलिए परिवादी का यह अभिकथन कि स्वयमेव परिवादी तथा उसक कुटुम्ब प्रतिकर्षणकर्ता का प्रयोग करने से कै होने, चक्कर आने, सिरदर्द एवम मिचिली आने से ग्रस्त हो जाता है और अस्पताल में भर्ती किया जाना पूर्णतया गलत तथा निराधार है और कथित आमकथनों को प्रत्यर्थी कम्पनी के उत्पाद की मान हानि करने के लिए न्याय संगत बनाया गया है।
3. परिवाद के पैरा 3 को उस विस्तार तक स्वीकृत किया जाता है जिस तक अभिलेखों में चढ़ाया जाता है। यह निवेदन किया जाता है कि परिवाद की प्राप्ति पर परिवादी से प्रतिकर्षण करने वाले को भेजने तथा प्रतिकर्षणकर्ता को वापस लेने का अनुरोध किया गया। परिवादी का यह अभिकथन की कि कम्पनी ने परिवादी के पत्र का उत्तरदायी नहीं बना, दोषपूर्ण है और इसका प्रत्याख्यान किया जाता है। यह निवेदन किया जाता है कि प्रत्यर्थी कम्पनी ने किसी अनुचित व्यापार में सम्मिलित हुआ है और प्रत्यर्थी कम्पनी द्वारा विक्रय किये गये उत्पाद प्रभावकारी नहीं है यदि उसका ही प्रयोग प्रतिकर्षण कर्ता के अनुदेशों के अनुसार किया जाता है।
4. पैरा 4 की अन्तर्वस्तुएं गलत है और इसका प्रत्याख्यान किया है। यह निवेदन किया जाता है कि प्रत्यर्थी कम्पनी का उत्पाद किसी भी दोष से ग्रस्त नहीं है या यह प्रभावहीन है और आगे प्रत्यर्थी ने कोई मिथ्याव्यदेशन नहीं प्रस्तुत किया है बल्कि प्रतिकर्षणकर्ता के उपयोग के ढंग को उस पर स्पष्ट रुपेण उपदर्शित किया है। प्रत्यर्थी कम्पनी ने इसके ग्राहकों/उपयोगकर्ताओं में से किसी से कोई परिवाद यहाँ तक नहीं प्राप्त किया है। यह निवेदन किया जाता है कि प्रत्यर्थी कम्पनी अभी भी प्रत्यर्थी कम्पनी को प्रतिकर्षणकर्ता को वापस कर परिवादी पर प्रतिकर्षणकर्ता के मूल्य का प्रतिदाय करने की इच्छा कर रहा है।

प्रार्थना खण्ड को पूर्णतया गलत समझा जाता है। प्रत्यर्थी कम्पनी, यह निवेदन किया जाता है, बिल्कुल उत्तरदायी नहीं है क्योंकि प्रतिकर्षणकर्ता का उपयोग प्रतिकर्षणकर्ता पर अनुदेशो के अनुसार परिवादी द्वारा नहीं प्रयोग किया गया है। प्रत्यर्थी कम्पनी किसी अनुचित व्यापार पद्धति का एकदम प्रयोग नहीं कर रहा है क्योंकि कम्पनी का उत्पाद न तो दोषपूर्ण है और न ही स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, क्योंकि वह विष के किसी भी तत्व को - अन्तर्विष्ट नहीं करता है। कम्पनी का उत्पाद उस दशा में मच्छरों, काकरोचों, विस्तर के खटमलों में वृद्धि होने को रोकने के लिए, हटाने बलात् दूर करने के लिए मात्र एक प्रतिकर्षणकर्ता होता है जब प्रतिकर्षणकर्ता पर अनुदेशों के अनुसार कमरे में प्रतिकर्षित कर दिया जाता है।

यह निवेदन किया जाता है कि परिवादी का परिवाद निराधार अभिकथनों पर आधारित होने के कारण खारिज किया जाने योग्य है।

अतएव यह तद्नुसार प्रार्थना की जाती है।

स्थान - प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता

तारीख -